अनुसूचित जाति की महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव

(दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वरनगर, दरभंगा

के अन्तर्गत

समाजशास्त्र विषय में

पी–एच.डी. उपाधि हेतु उपस्थापित

शोध–प्रारूप

वर्ष–2023

पर्यवेक्षक

डॉ० सुनीता कुमारी
सहायक प्रध्यापिका
सह विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग
मारवाड़ी महाविद्यालय
दरभंगा।

Anshu Prabha

शोधार्थी

अंशु प्रभा

वर्ग क्रमांक–06

PAT 2021-22

PAT Roll No.- 22190013

<u>शोध – प्रारूप</u>

समाजशास्त्र विभाग (सामाजिक विज्ञान संकाय)

ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा

1.शोध–शीर्षक:

अनुसूचित जाति की महिलाओं पर मनरेगा का प्रभाव

(दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

2. भूमिका:

सामुदायिक जीवन के दो पक्ष होते हैं – ग्रामीण एवं नगरीय। ग्राम एवं नगर दोनों की परिस्थितियाँ भिन्न – भिन्न होती है। इन दोनों का सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन एक–दूसरे से भिन्न होता है। ग्राम सहवास जीवन को प्रदर्शित करता है और इस विशेषता के कारण इसका दूसरे समुदायों से भिन्नता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। भारत में जनसंख्या का अधिकांश भाग गाँवों में निवास करती है। अतः देश की प्रगति की दिशा में किए गए समस्त प्रयास उस समय तक सार्थक प्रतीत नहीं होती जबतक गाँव में निवास करने वाले समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित नहीं किया जाता है। अतः ग्रामीण लोगों की दशा में विकास आवश्यक होता है।

महिलाएँ मूलतः प्रत्येक समाज के निर्माण में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्राचीन समय में भारतीय गाँव आर्थिक, सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए थे। गरीबी और बेकारी झोपड़ियों में कराह रही थी। व्यक्ति को दो समय का भोजन नसीब नहीं हो पाता था, उनके रहने के लिए खुला आकाश और भूमि थी, न उसके

Sunita Kumari
1/3/17

Anshu Prabha

पास घर था और न ही खाने के लिए दो समय का भोजन। इस निर्धन समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। आधुनिक काल के प्रारंभ में भी भारतीय ग्रामीण समाज की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ क्योंकि इस समय में भी अधिकाधिक ग्रामीण लोग प्राचीन समय की तरह ही समस्याओं से जूझते रहे हैं। इस समय में भी निर्धनों के समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय और सोचनीय रही है। ग्रामीण समाज की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता होनी चाहिए वह नही के बराबर देखने को मिलती रही है। भारतीय ग्रामीण समाज की महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाओं का प्रतिपादन किया।

विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संबंध समाज के आर्थिक, सामाजिक पहलू से होता है। विकास के द्वारा मनुष्य अनेक उपलब्धियों को प्राप्त करता है। विकास की प्रक्रिया अनन्त है, इसलिए मापन भी असंभव होता है। हम केवल विकास की उन पहलुओं को मानते हैं जिनका संबंध भौतिक एवं आर्थिक जीवन से होता है, मापने के संबंध में अनेक मानदण्ड अपनाए जाते हैं। जिनमें से मात्रा में वृद्धि, आपसी सहयोग में वृद्धि, मानवीय स्वतंत्रता में वृद्धि, समानता में वृद्धि, महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं कल्याण में वृद्धि आदि प्रमुख मापदण्ड माने गए हैं।

स्पष्ट है कि ग्रामीण संरचना के विकास मार्ग में बेरोजगारी एवं निर्धनता बाधक है। जिसके परिणामस्वरुप अन्य समस्याओं का जन्म होता है। नीति निर्माताओं द्वारा यह महसूस किया गया है कि गरीबी उन्मूलन की रणनीतिक विकास की प्रक्रिया उत्पादक रोजगार अवसरों की वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए।

Sunita Kumari
1/3/24

ग्रामीण विकास एक लचीली अवधारणा है जिसका अर्थ लोग अपने ढंग से लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्राथमिकता देना ग्रामीण विकास है। इसके अन्तर्गत कृषि विकास, ग्रामीण आवास विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सामाजिक–आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन, ग्रामीण अवसंरचनात्मक (बाहरी आकार) में परिवर्तन आदि सम्मिलित हैं अर्थात् ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्रता के विकास के साथ, ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में वृद्धि लाना है।

इस दृष्टि से ये एक सर्वव्यापक एवं बहुआयामी अवधारणा है जो कृषि विकास के साथ–साथ ग्रामीण क्रियाओं की अन्य गतिविधियों, लघु–कुटीर उद्योगों, हथकरघा, सामाजिक–आर्थिक अधिसंरचना, सामुदायिक सेवा एवं सुविधाओं, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, शैक्षणिक सेवाओं में विकास आदि सभी के विकास पर प्रभाव डालती है। एक रणनीति के रूप में ग्रामीण विकास का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है और उनके विकास क्रम को आत्म पोषित करना है। यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो निर्धन ग्रामीणों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने में सहयोग प्रदान करती है।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन के अनुसार, ग्रामीण विकास एक व्यापक संकलन है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के सभी पहलू शामिल हैं। सीमित दायरे में ग्रामीण विकास का अर्थ, ग्रामीण निर्धनों पर विशेष रोजगार कार्यक्रमों, भूमि सुधार, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, स्वच्छ पेयजल पूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है।

Sunita Kumari
1/3/24

Anshu Prabha

विश्व बैंक की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, (1975 में प्रकाशित ग्रामीण विकास परिपत्र) "ग्रामीण विकास का मूल अर्थ ग्रामीण जनसंख्या के निम्न आय वर्ग समूहों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। संक्षेप में, ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके, उन्हें आर्थिक विकास की धारा में प्रवाहित करना है, जिसके लिए इनकी मूल जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक अपरिव्यय सुविधायें उपलब्ध कराना होगा।"

रार्बट चैम्बर्स के अनुसार "ग्रामीण विकास का तात्पर्य जनसंख्या के उस विशेष वर्ग के विकास करने की रणनीति है जिसमें गरीब ग्रामीण पुरुष, महिलायें, बच्चे शामिल हैं, इनकी इच्छा व जरूरतों को पूरा करना है ताकि इनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। इसमें ग्रामीण किसान, कारीगर, भूमिहीन कृषक भी सम्मिलित होते हैं जो अपने जीवन–यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं।"

महात्मा गाँधी का ग्रामीण विकास से तात्पर्य "ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर से ऊपर उठा कर ग्राम को एक स्वावलम्बी गणतंत्र बनाना है। अर्थात् ग्रामों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ उनकी रूढ़िवादिता, पक्षपात तथा संकीर्ण विचारधारा को समाप्त करके उन्हें स्वावलम्बी बनाना है।"

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण समाज के लोगों का सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक, राजनीतिक उत्थान है। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य सभी वर्गों को एक समान लाभ पहुँचाना है परन्तु वास्तविकता यह है कि इन योजनाओं का सामाजिक व आर्थिक स्तर पर सबसे पिछड़े परिवारों व निम्नतर व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है। इससे अधिकतर सम्पन्न व्यक्ति ही लाभान्वित हुए हैं।

Sunita Kumari
1/3/24

ग्रामीण अंचलों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण विकास योजनाओं के निरूपण, क्रियान्वयन व प्रबन्धन में अधिक से अधिक जन सहभागिता (स्थानीय लोगों से सहयोग) प्राप्त हो। योजनाओं के निरूपण के समय उस क्षेत्र के व्यक्तियों का (जो वहाँ के क्षेत्रीय आवश्यकताओं से परिचित हो) महिलाओं, ग्रामीण युवकों का सहयोग लेना अपेक्षित होता है। परिणामस्वरूप इसका लाभ परिवारों व सम्पूर्ण समुदाय को प्राप्त होता है।

इसके साथ ही आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास के अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए गैर–सरकारी संगठनों का अधिकाधिक सहयोग लेना चाहिए। गैर–सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों से जुड़े रहते हैं और उनकी विश्वसनीयता जनता में अधिक होती है। अतः इस प्रकार के संगठनों के निर्माण और कार्य में शासन द्वारा भरपूर सहयोग देना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में एक अध्ययन, "पार्टनर्स इन रूरल पावर्टी एलीवेशन–एनजीओ द्वारा कराया था, इसमें विभिन्न देशों में एनजीओ का जो योगदान रहा है उसको प्रकाशित किया गया और विकास के क्षेत्रों में इनकी अधिकाधिक भूमिका हो सकती है इस पर बल दिया गया था।"

ग्रामीण विकास में तथ्यात्मक अध्ययन मुख्यतः दो बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है :

(क) स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास की स्थिति (1947 से पहले)

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् (1947 से 2016 तक)

भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारतीय गाँवों को अलग–अलग राजा, महाराजा, शासकों, प्रशासकों, राजनीतिज्ञों ने अपने–अपने विवेक, इच्छाओं, स्वार्थ से दोहन किया है जहाँ कुछ राजाओं ने निःस्वार्थ प्रयास किये वहीं शासक वर्ग ने स्वार्थ सिद्ध करने हेतु कार्य किये।

Sumita Kumari
1/3/24

Shashi Prabha

ग्रामीण विकास के लिए शासक वर्गों में चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा महत्वपूर्ण कार्य जैसे– जलाशयों, झीलों, सड़कों, सराय आदि का निर्माण कराया गया। अकबर ने शिक्षा का प्रसार किया, कर प्रणाली को सुधारा, जरीव प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने मण्डी व्यवस्था को लागू करके वस्तुओं की कीमतों पर उचित नियन्त्रण रखा वहीं ब्रिटिश शासन द्वारा कोई भी ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्य नहीं किया गया। स्वाधीनता आंदोलन में लगे नेताओं ने इस दिशा में अनेक प्रयास किये। वर्ष 1910 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पच्चीसवाँ वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में सम्पन्न हुआ। इसमें राष्ट्रीय नेताओं ने पंचायतों की स्थापना की माँग रखी। इसके बाद भी सम्पन्न हुए अधिवेशनों में ग्रामीण विकास विषयक मुद्दे रखे गये तथा इसके लिये अलग–अलग राज्यों में अनेक एक्ट पास किये गये। बंगाल स्व सरकार अधिनियम 1920, बंबई ग्राम पंचायत अधिनियम IV1920, यू.पी. पंचायत एक्ट V1920, बिहार स्व सरकार एक्ट V1920, सी.पी. पंचायत एक्ट V1920, पंजाब पंचायत एक्ट III1922, असम स्व सरकार एक्ट III 1922, मैसूर ग्राम पंचायत एक्ट II1926।"

हमारे राष्ट्रीय नेताओं में महात्मा गाँधी, रविन्द्र नाथ टैगोर, सुभाष चन्द्र बोस आदि ने ग्रामीण विकास को समर्थन दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर (1920) ने ग्रामीण विकास के लिये शान्ति निकेतन में ग्रामीण सुधार कार्यक्रमों की शुरूआत की। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया व इसके लिये शान्ति निकेतन में बच्चों को शिक्षा देने का कार्यक्रम चलाया। महात्मा गाँधी (1931) ने ग्रामीण विकास अभियान सेवाग्राम के अन्तर्गत प्रारम्भ किया। ग्रामीण पुनर्निर्माण, लघु व कुटीर उद्योगों का विस्तार, ग्रामों को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रयास किये, गाँधी जी ने ग्रामों के सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान के लिये प्रयास किया व सूत्री कार्यक्रम बनाये।

Sunita Kumari
1/3/24

Anshu Prabha

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक नियोजन की प्रणाली के प्रारम्भ से ही भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को सदैव प्राथमिकता प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान ग्रामीण विकास के साथ, किसानों के हितों के लिये ठोस प्रयत्न किये गये हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय संसाधनों के आंकलन, संवर्धन तथा उनके समुचित प्रयोग द्वारा आर्थिक विकास हेतु 15 मार्च, 1950 को एक मंत्रिमण्डलीय प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। इस आयोग द्वारा अब तक 12 पंचवर्षीय योजनायें निर्मित की जा चुकी हैं। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओ, प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56), द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61), तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) के दौरान भारत में नियोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरूआत 2 अक्टूबर, 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से की गई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा, 1959 में पचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया (73वें संवैधानिक संशोधन, बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट में पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली के गठन का सुझाव दिया गया। इसमें लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का रूप विद्यमान है)। सघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1962, जनजातीय क्षेत्र का विकास कार्यक्रम 1964, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1965, उन्नत बीज कार्यक्रम 1965 तथा सघन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1965 को अपनाया गया। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण विकास में जन सहभागिता में वृद्धि, ग्रामों के सर्वांगीण विकास, क्षेत्रीय विकास, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास किये जा रहे हैं।"

स्वतंत्रता के पूर्व भारत सरकार द्वारा ग्रामीण समुदाय के लोगों विशेषतः निर्धन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं एवं पुरूषों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए जैसे– प्रधानमंत्री रोजगार (1993), स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना (1999), एकीकृत ग्रामीण विकास

Smita Kumari
1/3/24

Anshu Prabha

योजना, दस लाख कुआँ योजना, ट्राइसेम, इन्दिरा आवास योजना (1985), अन्त्योदय अन्न योजना (2001) तथा बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (2001) शुरू की गयी। परन्तु इस सब योजनाओं का ग्रामीण समुदाय पर तथा यहाँ की अनुसूचित जाति की महिलाओं पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। यदि हम 50 वर्षों का मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि उपरोक्त योजनाएँ अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्त्ति नहीं कर पायी हैं और लोगों के जीवन का स्तर काफी निम्न है। निश्चित ही देश के विकास के साथ–साथ गरीबी में कुछ कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, रहन–सहन का स्तर बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण समुदाय के लोगों चाहे अन्य पिछड़ी जाति के हों या अनुसूचित जातियों के हों, इनकी स्थिति जस के तस बनी हुई थी। इनकी स्थिति को ध्यान में रख कर भारत सरकार ने 2 फरबरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया ताकि ग्रामीण समुदाय के निर्धन विशेषतः अनुसूचित जाति के लोगों को सवैतनिक रोजगार मिल सके और वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्त्ति कर सके, जिसके लिए वे गाँव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, इसमें कमी आ सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिन्दगी से सीधे तौर पर जंड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। इस योजना का मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम – से – कम सौ दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन

Smita Kumari
1/3/24

किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा संरक्षण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम पर आधारित हों जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल न हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। मनरेगा के तहत दिए काम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत रही है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में प्रति लाभार्थी मिलने वाली औसत मजदूरी जो वर्ष 2006 से प्रति श्रम दिवस 65 रू0 थी, वर्ष 2014–2015 में बढ़कर 150 रू0 से अधिक हो गई। समस्त कार्यों में लगभग 65 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में हुआ।

2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर "महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)" कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा नरेगा को 5 सितंबर 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मनरेगा रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है जो योजनाओं की तुलना में इसे विशेष बना देता है।

Sumitra Kumari
1/3/17

Anshu Prabha

ग्रामीण समाज के सभी समुदायों सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग, सभी वर्ग के लोग नगरीय अंचल की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं, जिसमें अत्यधिक निम्न स्तर के दलित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति की स्थिति देखने को मिलती है। भारत सरकार ने इस ग्रामीण समाज के लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय देखी और इनकी स्थिति को सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ चलायी जिससे ग्रामीण समाज के अनुसूचित जाति की महिलाओं को इसका विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं पर मनरेगा योजना का विशेष प्रभाव है।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6 प्रतिशत या 20.14 करोड़ आबादी अनुसूचित जातियों की है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग के महिलाओं की सुख सुविधाओं एवं अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है चाहे यह क्षेत्र राजनीति का हो, शिक्षा का हो, नौकरी का हो या कृषि का हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यहाँ की महिलाओं को खेतों में अथक परिश्रम करना पड़ता है लेकिन उनके परिश्रम की मजदूरी बहुत कम मिल पाती है। परिवार में भी उनके प्रति भेद – भाव किया जाता है। खेतों से काम करके घर लौटने के पश्चात् उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी का भी वहन करना पड़ता है।

इस संदर्भ में ग्रामीण समाज के अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक है जिन्हें जन्म के समय से ही भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण समाज में भी अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्र के पुरूष समाज की आवश्यकता की पूर्ति पूर्णतः नहीं हो पाती है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि महिलाओं की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति पुरूषों पर ही

Sunita Kumari
1/3/24

Anshu Prabha

आधारित होती है। परंतु भारत सरकार ने मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी जॉब कार्ड बनाकर उन्हें 1 वर्ष (365 दिनों) में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी है, जिसके तहत इनकी स्थितियों में अत्यधिक सुधार होगा।

मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुल श्रमिकों का 33 प्रतिशत भाग महिला श्रमिकों का भाग निश्चित किया गया है, जिससे महिलाओं का विकास हो सके तथा कुल श्रमिकों का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति की महिलाओं का निश्चित किया गया है, जिससे इनका विकास सुदृढ़ हो सके। इस योजना से अनुसूचित जाति की महिलाएँ प्रभावशाली सिद्ध हो रही हैं अर्थात् उनके जीवन में अनेक विकासात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार ग्रामीण समाज में "मनरेगा" का अनुसूचित जाति की महिलाओं पर विशेष विकासात्मक प्रभाव पड़ा है।

3. उपलब्ध साहित्य का सिंहावलोकनः–

मोहन शैलेन्द्र कुमार (2011) ने "मनरेगा कार्यक्रम की सफलता" नामक शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख मे छ.ग. के धमतरी जिले के मनरेगा कार्यक्रम पर शोध अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया कि मनरेगा कार्यक्रम की जो सफलता छ.ग. के धमतरी जिले में है उसका कारण वहाँ कि पारदर्शिता है और वहाँ जो लागे कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका विश्वास है कि सारा काम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से हो रहा है।

सुरेन्द्र कटारिया (2009) ने अपने शोध अध्ययन "आर्थिक मंदी से जुझने में नरेगा का योगदान" में यह निष्कर्ष निकाला है कि नरेगा देश में आर्थिक मंदी को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है नरेगा के माध्यम से देश के करोड़ो व्यक्तियों के हाथों ने एक निश्चित न्यूनतम राशि पहुँची है जिससे इन लोगों के

Sumita Kumari
1/3/24

Shashi Prabha

परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि की है और ग्रामीण क्षेत्रो में उपभोक्ता बाजार को विस्तार मिला है। नरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है।

अतुल कुमार तिवारी (2009) ने "नरेगा ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान" शोध शीर्षक से यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि नरेगा सरकार की महत्वपूर्ण (फ्लैकशिप) योजनाओं में से एक है और इसने 2008–09 में 4,479 करोड़ से अधिक परिवारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए एवं नरेगा ने ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए भी योगदान दिया है एवं यह कानून लाखों ग्रामीण लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में मददगार रहा है और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इसमें और सुधार से यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सुभाष सेतिया (2009) ने "नरेगा ने खोले गाँवों में रोजेगार के नए द्वार" प्रकाशित अपने शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि नरेगा का मूल उद्देश्य गाँवो में रोजगार की व्यवस्था करना है परन्तु इसका प्रभाव रोजगार के अवसर सृजित करने तक सीमित नहीं है। यह योजना वास्तविक में ग्रामीण जीवन में क्रांति का अग्रदूत सिद्ध हो रहा है एवं गरीबी तथा बेरोजगारी दूर करने के साथ–साथ यह गाँवों में बुनियादी सोच में भी बदलाव ला रहा है और इस योजना से ग्रामीण लोगों में नए तरह का विश्वास व आत्मबल पैदा हो रहा है और जिन राज्यों में इस योजना को कुशलता और ईमानदारी से लागू किया है, वहाँ गाँवों से शहर की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लग गई है।

नीलम शर्मा (2012) "अपना खेत, अपना काम योजना : बदली आदिवासियों की तकदीर" अपने शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा योजना के 'अपना खेत अपना काम' योजना के द्वारा न केवल ग्रामीणों को रोजगार दिया है

बल्कि तरक्की की एक नयी कहानी भी लिखी हैं एव मनरेगा की वजह से ही राजस्थान के आदिवासी इलाके में बदलाव आया है और इस योजना के द्वारा भूमि के उपजाऊपन में से वृद्धि हुई है और किसान अपने खेतों का सुधार करके कृषि में नवाचार भी अपना रहे हैं एवं वे सिर्फ वर्षा आधारित खेती नहीं कर पा रहे हैं बल्कि बारहमासी खेती के जरिए उत्पादन में अपना योगदान दे रहे है और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं एवं इसका श्रेय मनरेगा को जाता है।

विनीता कटियार एवं के. एस. वर्मा (2009) ''नरेगा परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव'' का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि नरेगा के अंतर्गत पर्यावरण को बिना हानि पहुँचाए और पर्यावरण संतुलन में सुधार लाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन पर बल दिया गया है एवं नरेगा का उद्देश्य पर्यावरण को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचाए ग्रामीण विकास करना है जिससे शुद्ध वातावरण प्राप्त किया जा सकें तथा पर्यावरण असंतुलन के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर किया जा सकें और नरेगा के वृक्षारोपण तथा वनसंरक्षण से जुड़े होने के कारण पर्यावरण के क्षय को कम करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

कुमार सुरेश सिंह (2009) ने ''नरेगा से बिहार में गाँवों की बदलती तस्वीर'' शोध अध्ययन में बिहार के विभिन्न गाँवों में चल रही नरेगा कार्यक्रम पर शोध किया और यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि नरेगा के माध्यम से ही गरीब मजदूरों को अब अपने गावं में ही काम मिल रहा है एवं योजना में ग्रामीण लोगों का गाँव से शहरों की ओर पलायन रूका है और नरेगा सामाजिक न्याय कि एक ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से गरीबी मिटाने, भोजन करने का अधिकार देने, शिक्षा का अधिकार देने जैसी योजनाओं को सफल बनाने में मदद मिल रही है।

Sumita Kumari
1/3/24

Sudha Prabha

ए. कमर (2009) ने "रोजगार गारंटी योजना से बदली देलगाँव की तस्वीर" में ग्राम देलगाँव का शोध अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि नरेगा की वजह से ग्राम देलगाँव की तस्वीर ही बदल गई है। कल तक इस गाँव में बंजर जमीन, धलू उड़ती, उबड़–खाबड़ पगडंडिया, सूखी व वीरान पहाड़ियाँ और ग्रामवासियों के मुर्झाएं चेहरे नजर आते थे और आज नरेगा से सेखी पड़ी पहाड़ियाँ हरियाली में बदल गई हैं एवं नरेगा की ही वजह से गाँव में सिंचाई के साधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और वहीं बेरोजगारी और शहरों की ओर पलायन की समस्या से भी देलगाँव के लोगों को निजात मिल गई है।

राजकुमार महोबिया (2010) ने "मनरेगा ने बदली पोगरी गाँव की तकदीर" से प्रकाशित लेख में मध्यप्रदेश के पोगरी गाँव की मनरेगा कार्यक्रम का अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया गया कि मनरेगा ने पोगरी गाँव के परिवारों को कई तरह से लाभान्वित किया है जैसे – 1. ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होने से उनके उपभोग व्यय एवं जीवन स्तर में सुधार आया हैं। 2. ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी मिली। 3. खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 4. शहरों की ओर पलायन में कमी आई। 5. महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है। 6. बचत प्रवृत्ति बढ़ी है।

जगबीर कौशिक (2009) ने "नरेगा गरीबों का सुरक्षा कवच" अपने शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि नरेगा कार्यक्रम गरीबों के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है जिससे उसकी पलायन की प्रवृत्ति पर भी रोक लगी है, एवं नरेगा का सीधा असर निम्न वर्ग के जीवन स्तर पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने रोजगार गारंटी को रोजगार सब्सिडी कहा और लोगों को रोजगार देने का जो संकल्प सरकार ने लिया है एवं उस संकल्प को दो तरह से हासिल किया जा सकता है, प्रथम यह कि व्यापारियों पर टैक्स लगाकर रकम

Sunita Kumari
1/3/21

हासिल कि जाएँ और रकम का उपयोग रोजगार उपलब्ध करने के लिए किए जाएँ और दूसरा, कर की वसूली पूँजी–सघन उद्योगों से की जाएँ और प्राप्त रकम को श्रम–सघन उद्योगों को रोजगार सब्सिडी के रूप में दिए जाएँ।

चन्द्रभान यादव (2010) ने ''मनरेगा और पंचायती राज'' से प्रकाशित अपने शोध लेख में यह निष्कर्ष निकाला कि नरेगा के कारण पंचायती राज व्यवस्था और मजबूत हुई है, चूंकि नरेगा योजना पूरी तरह से पंचायती राज पर केन्द्रित है इसलिए एक तरफ योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो सका है तो दूसरी ओर नरेगा से पंचायती राज व्यवस्था को नया आयाम मिला है।

विशाल बद्री त्रिपाठी (2008) ने ''ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब पूरे देश में लागू'' प्रकाशित अपने शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष पाया कि नरेगा अब पूरे देश में लागू हो चुका है परन्तु नरेगा योजना के अंतर्गत अब तक की प्रगति सामान्य है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका चलन बढ़ रहा है। नरेगा योजना के अंतर्गत 2007–08 में 2.61 करोड़ ग्रामीण परिवारों ने कार्य की मांग की है और उसमें से 2.57 करोड़ ग्रामीण परिवार को ही वर्ष 2007–08 में लगभग 85 करोड़ मानव–दिवस का कार्य प्रदान किया गया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इस योजना के लिए अधिक धनराशि आवंटित किये जाने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा और वर्ष 2007–08 में 12000 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया था एवं इस राशि में से 30 जनवरी 2008 तक लगभग 10500 करोड़ रू. व्यय किये जा चुकें हैं।

निमिषा गौड़ (2009) ने ''ग्रामसभा और नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण'' अपने शोध अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ''ग्राम सभा'' और ''सामाजिक अंकेक्षण'' को सार्वजनिक निगरानी की एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया माना है और सामाजिक अंकेक्षण से ही नरेगा योजना और उनके

Sunita Kumari
1/3/21

क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारियाँ एवं सूचना पाकर ही आम लोग सवाल पूछने में और जवाबदारी तय करने में सक्षम हो सकते हैं।

अरविंद प्रकाश (2010) ने "मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण" प्रकाशित अपने शोध अध्ययन में यह सुझाव दिया कि ग्रामसभा में जनसुनवाई के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चलते रहना चाहिए जिससे इसमें पारदर्शिता आएगी और सूचना के अधिकार पारदर्शिता को लाने में मदद करेगी एवं किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए व्यक्तियों और अधिकारियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और धन के सही उपयोग के लिए प्रशासनिक ढ़ाँचा को मजबूत किया जाना चाहिए।

मेघनाद लार्ड देसाई (2009) ने "भारतीय अर्थव्यवस्था" नामक अपने पुस्तक में लिखा है कि केन्द्र सरकार की नरेगा योजना को यह कह कर रद्द कर दिया कि "यह इस रोग की बहुत हल्की दवाई है जो पीड़ा तो कम करती है लेकिन यह बीमारी का इलाज नहीं करती है और यह एक अस्थाई उपाय है, न की समस्या का उपाय है। उनके अनुसार, ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्र में आएँ और विनिर्माण का कार्य करें परन्तु संभव है कि गन्दी बस्तियाँ कायम होगी लेकिन ग्रामीण लोगों को बेहतर संरक्षित आय प्राप्त होगी।"

सी.ए.जी. (2009) ने "भारतीय अर्थव्यवस्था" में नरेगा योजना के कार्यान्वयन की कमियाँ निम्न रूप में व्यक्त की है, रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी मानवशक्ति की कमी है और इसके अभाव में निर्धारित रिकार्ड कायम करने में भी कठिनाई पैदा की है। रिपोर्ट के अनुसार इससे पारदर्शिता पर कुप्रभाव पड़ा है एवं माँग करने पर 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार के प्रावधान को भी प्रमाणित करना मुश्किल हो गया है और रिपोर्ट में यह पाया गया

Smita Kumari
1/3/21

Shubha Prabha

है कि आयोजन अपर्याप्त और विलम्ब भी हुआ जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का निष्पादन घटिया हुआ।

पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा केन्द्र (2009) ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' के द्वारा उड़ीसा में प्रोग्राम की प्रगति के संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि सरकार ने यह दावा किया कि 2006–07 के दौरान 890 करोड़ रू. के प्रावधान में से राज्य सरकार ने 733 करोड़ रू. ही इस्तेमाल कर पायी है और योजना के आधीन 19 जिलों में से एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसे मजदूरों के रूप में रोजगार देने से इंकार किया गया हो। अनुसंधान टीम ने यह पाया कि योजना पर व्यय किए गए 733 करोड़ रू. में से 500 करोड़ रू. का कोई हिसाब–किताब उपलब्ध नहीं है और यह भी पाया गया कि 100 ग्रामों के सैम्पल में से एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसे 100 दिन का रोजगार मिल पाया हो और सामाजिक अंकेक्षण भी नदारद पाया गया।

ममता कु. मण्डाले (2010) ने अपने शोध अध्ययन ''नरेगा का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव'' (बालाघाट जिले की कटंगी तहसील के विशेष संदर्भ में) पर यह निष्कर्ष के रूप में ज्ञात हुआ कि नरेगा योजना भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने में अधिक सहायक नहीं हुई है और उन्होंने पाया कि इस योजना के बाद भी श्रमिकों को लगातार काम नहीं मिल पा रहा है, और उन्हें बेरोजगार रहना पड़ रहा है और नही उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी भुगतान किया जा रहा है जिसके कारण उनकी दैनिक एवं प्रतिमाह आय में भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है।

जयति घोष तथा पी.सी. चन्द्रशेखर (2009) ने ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' नामक अपने अध्ययन में पाया कि नरेगा में महिलाओं की बढ़–चढ़ कर भागीदारी सामाजिक परिवर्तन का आगाज है और इससे पलायन को रोकने में भी सहायता

Sumitra Kumari
1/3/21

Anshu Prabha

मिलेगी तथा परिवारों के खाद्य उपभोग स्तरों में सुधार हो पाएगा एवं अनुसूचित जाति व जनजातियों के सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि नरेगा में उनकी अच्छी खासी भागीदारी है।

घनश्याम वर्मा (2009) ने "विकास की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी" में राजस्थान के बुंदी जिले में नरेगा स्कीम का शोध अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया कि जिले में हो रहे नरेगा कार्यों को यदि बानगी स्वरूप देखें तो हर शख्स इनकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, जो एक बारगी इन कार्यों का अवलोकन कर लेगा और ग्रामवासियों से सम्पर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जान लेगा।

एस.के. गोपाल (2009) ने "भारतीय अर्थव्यवस्था" में कहा कि जिन परिसंपत्तियों का निर्माण नरेगा में किया जा रहा है उनमें से बहुत सी बेकार और अनुत्पादक है और सरकार यह समझती है कि नरेगा में किये जाने वाला कार्य स्वतः ही परिसंपत्ति बन जाता है और इसलिए वह गड्ढे तालाब खुदवाती है, परन्तु जैसे ही काम खत्म हो जाता है, परियोजना भी बंद कर दी जाती है।

4. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्त्वः–

प्रस्तुत शोध का प्रमुख उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं समस्याओं के बारे में अध्ययन करना है। बिहार देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है। यहाँ औद्योगिक विकास न के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे एवं छोटे – मोटे व्यापार हैं। यहाँ जातिवाद, सामन्तवादी, पुरूषवादी मनोवृत्तियों का प्रभुत्व बहुत अधिक है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण समाज में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं

Sumita Kumari
1/3/24

उनकी समस्याओं का वैज्ञानिक एवं तटस्थ भाव से समाजशास्त्रीय एवं अनुभवजन्य अध्ययन किया जाए।

5. शोध का प्रमुख उद्देश्यः–

1. उत्तरदात्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि ज्ञात करना।
2. ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में मनरेगा के प्रति जागरूकता का पता लगाना।
3. मजदूरों के प्रवसन के संदर्भ में मनरेगा के योगदान को ज्ञात करना।
4. मनरेगा का सामाजिक परिवर्तन में भूमिका को उजागर करना।

6.उपकल्पनाः–

सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अतः अध्ययन विषय को सही दिशा और वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है ताकि शोध को सही दिशा मिल सके और विषयवस्तु का विश्लेषात्मक रूप से विवेचन किया जा सके। ये उपकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं:–

1. ग्रामीण समाज की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति निम्न है।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थिति उत्थान में मनरेगा का प्रभाव सन्तोषजनक है।
3. मजदूरों के प्रवसन प्रक्रिया की रोकथाम में मनरेगा की भूमिका अहम् है।
4. महिला सशक्तिकरण में मनरेगा योजना की भूमिका महत्वपूर्ण है।
5. पूर्व कार्यक्रमों की तुलना में मनरेगा अत्यधिक प्रभावशाली है।

Sumita Kumari
1/3/24

7.शोध–पद्धतिः–

प्रस्तावित अध्ययन में अन्वेषणात्मक तथा विवरणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित अध्ययन वैज्ञानिक विधियों पर आधारित अनुभवजन्य होगा।

8 .अध्ययन क्षेत्रः–

प्रस्तावित अध्ययन बिहार के दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड पर आधारित है। यह बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ है। प्रारंभिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि इन गांवों में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर मनरेगा योजना का विकासात्मक प्रभाव अच्छा है। जिसके कारण यहां के महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। इसलिए इसी प्रखंड के गांवों को अपने अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

9.निदर्शनः–

बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के शोध प्रक्रिया हेतु अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन कर अध्ययन किया जाएगा जो कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यरत हों और उनका जॉब कार्ड बना हुआ हो। सर्वप्रथम इन गांवों के अनुसूचित जाति के परिवारों की महिलाओं की एक वृहद् सूची बनाई जाएगी तथा प्रारंभिक सर्वेक्षण के द्वारा यह ज्ञात किया जाएगा कि इन गाँवों में अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति की स्त्रियों की संख्या कितनी है। तत्पश्चात् इन अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी एक वृहद् सूची तैयार की जाएगी। दैव निदर्शन पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु उत्तरदात्रियों का चयन किया जाएगा। इस प्रकार दैव निदर्शन पद्धति का प्रयोग कर कुल 300 अनुसूचित जाति की महिलाओं का चयन अध्ययन हेतु किया जाएगा।

Smita Kumari
1/3/24

10.तथ्य संकलन की प्रविधियाँ:–

शोध के तथ्यों को संकलित करने हेतु सुसंचालित एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया जाएगा जिससे शोध से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार सम्मिलित किया जाएगा। इन साक्षात्कार अनुसूची के अतिरिक्त उत्तरदात्रियों अर्थात् अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं ग्राम के कुछ अन्य वयस्क प्रबुद्ध महिलाओं तथा ग्राम विकास से संबंधित कुछ सरकारी अधिकारियों, स्थानीय नेताओं के भी विचार प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाएगा।

12.अध्यायीकरण:–

प्रथम अध्याय : भूमिका

द्वितीय अध्याय : उपलब्ध साहित्य का सिंहावलोकन

तृतीय अध्याय : अध्ययन क्षेत्र

चतुर्थ अध्याय : शोध पद्धतिशास्त्र

पंचम अध्याय : उत्तरदात्रियों की सामाजिक – आर्थिक पृष्ठभूमि

षष्ठ अध्याय : ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में मनरेगा के प्रति जागरूकता।

सप्तम अध्याय : प्रवसन प्रक्रिया में मनरेगा का योगदान।

अष्टम अध्याय : मनरेगा का सामाजिक परिवर्तन में भूमिका।

नवम अध्याय : सारांश एवं निष्कर्ष।

परिशिष्ट : संदर्भ ग्रंथ सूची

साक्षात्कार अनुसूची

Sunita Kumari
1/3/24

संदर्भः–

1. त्रिपाठी, कन्हैया (2009) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में गांधीयन मॉडल की भूमिका, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, अक्टूबर अंक, पृ0 52
2. पन्त, डी0सी0, (2001). भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ0 6–8
3. कुमार, मोहन शैलेन्द्र, ''मनरेगा कार्यक्रम की सफलता'' योजना अगस्त 2011, वर्ष 55 अंक 08, पृ.क्र. 67–68
4. कटारिया, सुरेन्द्र, ''आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अकं 02, पृ.क्र. 09–12
5. तिवारी, कुमार अतुल, ''नरेगा ग्रामीण भारत के बदलाव लाने का अभियान'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अकं 02, पृ.क्र. 13–16
6. सेतिया, सुभाष, ''नरेगा ने खोले गाँवों में रोजगार के नए द्वार'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 17–20
7. शर्मा, नीलम, ''अपना खेत, अपना काम योजना : बदली आदिवासियों की तकदीर कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2012 वर्ष 58 अंक 12 पृ.क्र. 43–47
8. कटियार, विनीता एवं वर्मा, के. एस., ''नरेगा परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 26–28
9. सिंह, कुमार सुरेश, ''नरेगा से बिहार में गाँवों की बदलती तस्वीर'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 46–48
10. कमर, ए. ''रोजगार गारंटी योजना से बदली देलगाँव की तस्वीर'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 46–48

Smita Kumari
1/3/24

11. महोबिया, राजकुमार, ''मनरेगा ने बदली पोगरी गाँव की तकदीर'' कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2010, वर्ष 56 अंक 12, पृ.क्र. 68–71
12. कौशिक, जगबीर, ''नरेगा गरीबों का सुरक्षा कवच'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 3–8
13. यादव, चन्द्रभान, ''मनरेगा ,और पंचायती राज'' कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2010, वर्ष 56 अंक 12, पृ.क्र. 14–19
14. त्रिपाठी, विशाल बद्री, ''ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब पूरे देश में लागू'' कुरूक्षेत्र जून 2009, वर्ष 54 अंक 08, पृ.क्र. 35–37
15. गौड़, निमिषा, ''ग्रामसभा और नरेगा का सामाजिक अंकेक्षण'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 29–32
16. प्रकाश, अरविंद, ''मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण'' योजना अगस्त 2011, वर्ष 55 अंक 08, पृ.क्र. 64–66
17. देसाई, मेघनाद लार्ड, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' 46वां संस्करण 2009, रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम्, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, पृ. क्र. 359
18. सी.ए.जी., ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' 46वां संस्करण 2009, रूद्र दत्त एवं के.पी. एम. सुन्दरम्, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, पृ.क्र. 360
19. पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा केन्द्र, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' 46वां संस्करण 2009, रूद्र दत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम्, एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, पृ.क्र. 360–61
20. मण्डाले, ममता कु. ''नरेगा का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव'' (बालाघाट जिले के कटंगी तहसील के विशेष संदर्भ में) सामाजिक सहयोग जनवरी–मार्च 2010, पृ.क्र. 75–81

Sunita Kumari
1/3/24

21. घोष, जयति तथा चन्द्रशेखर पी.सी. ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' 21वां संस्करण 2009, एस.के.मिश्रा एवं वी.के.पुरी, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई पृ.क्र. 158

22. वर्मा, घनश्याम, ''विकास की कहानी ग्रामवासियों की जुबानी'' कुरूक्षेत्र दिसम्बर 2009, वर्ष अंक 02, पृ.क्र. 21—23

23. गोपाल, एस.के., ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' 21वां संस्करण 2009, एस.के.मिश्रा एवं वी.के.पुरी, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई पृ. 159

Smita Kumari 1/3/21
पर्यवेक्षक

Anshu Prabha
शोधार्थी